तार/Grams:"भविष्यनिधि"/ "BHAVISHYANIDHI" दूरभाष/Tel.Nos. 08562-244189, 244902
ई मेल/e mail: sro.cuddapah@epfindia.gov.in फैक्स/Fax : 08562-258164

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Labour and Employment,Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE
1/30, रेलवे स्टेशन रोड, कडपा - 516 004/Railway Station Road, Kadapa – 516 004.

सं.आ.प्र/क्षे.का/कडपा/प्रशासन/अ.र/कार भाडा/2018-19/ दिनांकः 22.05.2018.

निविदा सूचना

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कडपा (इसमें पहली पार्टी कहलाएगी) द्वारा **संविदा एवाई करने की तिथि से एक वर्ष के लिए मासिक आधार पर भाड़े के लिए 1(एक) मिड साइज़ कार (2016 से 2018 तक मोडल केवल)** हेतु पंजीकृत यात्रा एजेंसियों (इसमें दूसरी पार्टी कहलाएगी) से मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। वाहन सामान्यतः रायलसीमा एवं नेल्लूर जिलों में यात्रा करने हेतु आवश्यक है, लेकिन जरूरत के आधार पर कार्यालयी प्रयोजन पर इन स्थानों के बाहर भी आवश्यक हो सकती है। कोटेशन 250 घंटे/ 2300 किलो मीटर के न्यूनतम मासिक औसत पर रु.36000/- की अधिकतम सीमा के लिए उपलब्ध कराना होगा। अनुबंधित पैरामीटर से ऊपर और ज्यादा हर किलोमीटर एवं घंटे के लिए चार्ज किये जाने वाले दर को अलग से बताना होगा। पंजीकृत यात्रा एजेंसियों को चाहिए कि वे अपनी एजेंसी/वाहन से संबंधित सभी संगत दस्तावेज जैसे – नाम व पता, पॉन, वाहन पंजीकृत कागज/प्रमाण पत्र आदि निविदा सूचना के साथ अवश्य संलग्न करें। **मोहरबंद कोटेशनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांकः 07.06.2018 के अपराहन 03:00 तक होगी। मोहरबंद लिफाफों में प्राप्त निविदा कोटेशन दिः 07.06.2018 के सायं 4.30 बजे बिड़रों के समक्ष (यदि कोई उपस्थित हों) खोले जाएँगे।**

निबंधन व शर्तें निम्नप्रकार हैं:

1) ड्राइवर से संबंधित सभी खर्च, तेल, पेट्रोल/डीज़ल, बीमा, कर, वाहन(जो जिस नाम से बुलाया जाए) संबंधी मरम्मतें एवं अनुरक्षण आदि की जिम्मेदारी दूसरी पार्टी की होगी।
2) ड्राइवर और वाहन को चाहिए वे मोटर वेह्किल अधिनियम एवं संगत कानूनों का अवश्य अनुपालन करें। ड्राइवर को चाहिए कि वह हर वक्त वर्दी (सफ़ेद सफ़ारी/सफ़ेद शर्ट-पैंट्स) पहने। उसकी सेवाएँ नियंत्रण अधिकारी के संतुष्टि पर आधारित होंगी। किसी अधिकारी के अनुदेशों पर हटाया गया कोई भी ड्राइवर विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्दारा नियुक्त नहीं किया जाएगा।
3) दुस्साहस ड्राइविंग/दुर्घटना आदि से उत्पन्न होनेवावले सभी कानूनी व वित्तीय परिणामों के लिए दूसरी पार्टी/ड्राइवर संपूर्णतः बाध्य होंगे।
4) पहली पार्टी से माइलेज की गणना होगी।
5) ईंधन भरने, वाहन के मरम्मत व अनुरक्षण हेतु उपभोग किया गया माइलेज व समय कुल माइलेज व समय में से निकाला जाएगा।
6) वाहन के खराब होने या मरम्मत में होने या ड्राइवर के अनुपस्थित होने या ड्राइवर नशे की हालत में होने की स्थिति में आधे घंटे के भीतर दूसरी पार्टी को चाहिए कि वह वैकल्पिक वाहन और ड्राइवर का प्रबंध करे। पर भी दूसरी पार्टी उक्त प्रबंध करने में असफल होने, या वैकल्पिक वाहन/ड्राइवर संतोषजनक न होने की स्थिति में पहली पार्टी को हक़ होगा कि वह अन्य शोफ़र-ड्रिवेन वाहन भाडे पर ले और उस भाडे के साथ प्रति दिन रु.1500/- के हिसाब से दूसरी पार्टी से जुर्माना भी वसूल करे।
7) कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को 45 दिन की अग्रिम सूचना देकर वाहन भाडा करार समाप्त कर सकती है।
8) वाहन/ड्राइवर क्षेत्र/अंचल के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर भी यात्रा करने के पात्र होने चाहिए।
9) दूसरी पार्टी द्दारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर, लागू आय कर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर कर कटौती करने के पश्चात भाडा प्रभार का भुगतान अकाउँट पेई चैक द्वारा किया जाएगा।

10) भाडा प्रभार के परिकलन हेतु दूसरी पार्टी को चाहिए कि वह लॉग बुक उपलब्ध कराए। लॉग बुक का फॉर्म केंद्र सरकार/ई.पी.एफ. विभाग द्वारा अपने कार्यालयी वाहन के लिए अनुरक्षित जैसा ही होना चाहिए। लॉग बुक का अनुरक्षण दूसरी पार्टी करेगी और उसका सत्यापन पार्टी द्वारा खुद या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्रति दिन के आधार पर करवाएगी। संविदा के समाप्त होने पर, दूसरी पार्टी लॉग बुक जमा करेगी।

11) ड्राइवर/वाहन के रिपोर्ट की समय सीमा का सख्त पालन करना होगा और आधे घंटे से अधिक देरी होने की स्थिति में पहली पार्टी को हक़ होगा कि वह अन्य शोफ़र-ड्रिवेन वाहन भाडे पर ले और दूसरी पार्टी को देय भाडा प्रभार में से उस भाडे के साथ उक्त चूक के लिए प्रति दिन रु.1000/- के हिसाब से जुर्माना भी वसूल करे।

12) दूसरी पार्टी द्वारा समय पर एवं सही ढंग से वाहन का अनुरक्षण व मरम्मतें न किये जाने की स्थिति में पहली पार्टी को अधिकार होगा कि वह वाहन की मरम्मतें करवाकर रकम देय भाडा प्रभार में से काट ले। 15 दिन की अग्रिम सूचना देने के बावजूद वाहन को सही ढंग से अनुरक्षित स्थिति में न रखने की स्थिति में भाडा करार समाप्त किया जाएगा।

13) वाहन संबंधी सभी खर्च एवं कानूनी औपचारिकताओं का निष्पादन दूसरी पार्टी द्वारा किया जाएगा।

14) मासिक भाडा प्रभार में विशिष्ट उपलब्धता को छोडकर सभी कर, उगाही, उपकर आदि सम्मिलित होंगी।

15) दूसरी पार्टी अनुगामी माह के 15 वीं तारीख तक 2300 कि.मी. दूरी के लिए भाडा प्रभार के रूप में रु._______/- का मासिक बिल प्रस्तुत करेगी एवं तदनुसार पहली पार्टी भुगतान करेगी। फिर भी, वाहन द्वारा तय की गयी कुल दूरी की समीक्षा करार के अंत में की जाएगी। शेष अधिक मील दूरी (ऊपर लिखित ऑफसेट के बाद) के लिए प्रति कि.मी. रु._______/- के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

16) ड्राइवर एवं वाहन के लिए ड्यूटी घंटे सभी दिनों में सुबह 8.00 बजे से रात के 7.00 बजे तक होंगे। आपात की स्थिति में ड्राइवर को 24 घंटे रोका जा सकता है और अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी। यदि पता चला कि ड्राइवर शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स आदि लेने के कारण नशे की हालत में है, तो उसके लिए रु.1500/- का जुर्माना काटा जाएगा।

17) संविदा एवार्ड करने की तिथि से एक वर्ष तक लागू में होगा।

18) संलग्नक “बी” में दर्शाये गये दरों के अनुसार पहली पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को किये गये भुगतान के प्रतिफल में दूसरी पार्टी संलग्नक “ए” में दर्शाये गये रूप में पहली पार्टी को भाडे के लिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए प्रसंविदाबद्ध होगी।

19) दूसरी पार्टी द्वारा संलग्नक “ए” में दर्शाये गये रूप में भाडे के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु पहली पार्टी अधिक प्रभार या उनके बीच किये गये संविदा के प्रावधान के अंतर्गत देय अन्य किसी राशि के भुगतान के लिए प्रसंविदाबद्ध होगी।

20) संविदा को प्रदान करने के 15 दिनों के भीतर दूसरी पार्टी को चाहिए कि वह वार्षिक रकम में से 10% राशि के लिए सी.बी.टी., ई.पी.एफ. के नाम पर बैंक गारंटी प्रस्तुत करे।

21) सभी कानूनी विवाद कडपा क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी।

इच्छुक पंजीकृत यात्रा एजेंसियाँ अपनी निविदाएँ निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

सहायक भविष्य निधि आयुक्त,
कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन,
(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार),
क्षेत्रीय कार्यालय,1/30, रेलवे स्टेशन रोड,
कडपा – 516 004.

निविदाकार को चाहिए कि वह लिफाफे के ऊपर “भाडे के लिए वाहन हेतु कोटेशन” अवश्य लिखे।
क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त.I, कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, कडपा को अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर सकते हैं।

(रोहित श्रीकुमार)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त

तार/Grams:"भविष्यनिधि"/ "BHAVISHYANIDHI" दूरभाष/Tel.Nos. 08562-244189, 244902
ई मेल/e mail: sro.cuddapah@epfindia.gov.in फैक्स/Fax : 08562-258164

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Labour and Employment,Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE
1/30, रेलवे स्टेशन रोड, कडपा - 516 004/Railway Station Road, Kadapa – 516 004.

No. AP/ RO/CDP/Admn/CT/CAR HIRING/2018-19/ Date: 22-05-2017

TENDER NOTICE

Sealed quotations are invited by Employees' Provident Fund Organization, Regional Office, Kadapa, (herein called FIRST PARTY) from Registered Travel Agencies (herein called SECOND PARTY) for hiring of **1(one) mid size car (Model Year – 2016 - 2018)** on monthly basis for a period of one year from the date of awarding the contract. The vehicle shall generally be required for travel within Rayalaseema and Nellore Districts, but can also be required to travel outside these places on official purposes on need basis. The quotation should provide for a minimum monthly average of 250 hours/2300 kilometers with a ceiling of Rs.36000/- per month. The rate that will be charged for every kilometer and hour over and above the stipulated parameters should also be given separately. The Registered Travel Agencies should enclose all the relevant documents relating to the Registered Travel Agency/Vehicle, viz. Name & address, vehicle registration papers/certificates, etc. with the tender quotation. The last date for receipt of sealed quotations is by 03.00 pm on 07-06-2018. The tender quotations received in sealed covers will be opened in the presence of the bidders, if any on 07-06-2018 at 04.30 pm.

The terms and conditions are as follows:

1) All expenses/charges of the driver, oil, petrol/diesel, insurance, taxes, repairs and maintenance etc., of the vehicle, by whatever name called will be borne by the second party.
2) The driver and the vehicle must comply with all the provisions of the Motor Vehicle Act and other relevant laws. The driver must wear the Uniform (White Safari/White Shirt-Pants) at all times. His services will be subject to satisfaction of the Controlling Officer. Any driver once removed on instructions of an Officer shall not be employed with any other Officer in the Department.
3) The second party/driver will be wholly and solely responsible for and liable to all legal and financial consequences arising out of rash driving/accident etc.
4) The mileage will be counted from the office of the first party.
5) The mileage and the time consumed for fuelling, repair and maintenance of the vehicle will be excluded.
6) In case the vehicle breaks down or is under repair or the driver is absent, or the driver is found drunken, alternative vehicle and driver will be provided by the second party within half-hour. However in case second party fails to do so, or the alternative vehicle/driver is not upto mark, the first party will be entitled to hire another chauffer-driven vehicle and recover the charges for the same along with penalty @ Rs.1500/- per day from the second party.
7) The vehicle hire agreement can be terminated by either party after serving 45 days advance notice on the other party.
8) The vehicle and the driver should be eligible/willing to travel outside the territorial jurisdiction of the Region/Zone also.
9) On the basis of monthly bills raised by the second party, the hire charges will be paid through account payee cheque after deducting Tax at source as per the Provisions of the Income Tax Act as applicable.
10) For the purpose of calculating hire charges payable, Log Book shall be provided by the second party. Form of the Log Book will be the same as maintained by the Central Government/EPF Department for their official vehicle. The Log Book shall be maintained by the second party & it has to get the same verified on day to day basis from party either himself or through an officer designated by him. After the completion of the contract, the Log Book shall be deposited by second party.

Contd Page-2

11) The time limit for reporting of the driver/vehicle should be followed strictly and in the case of delay of more than half an hour, the first party will be entitled to hire another Chauffer-driven vehicle and recover the charges for the same from the hiring charges payable to the second party, along with penalty of Rs.1000/- per day of such default.
12) In cases timely and properly maintenance & repairs of the vehicle are not carried out by the second party, the first party will be within its right to carry out the repairs and deduct the amount from the hire charges payable. The hire agreement will be terminated if the vehicle is not kept in well-maintained condition by issuance of 15 days notice in advance.
13) All the expenses and legal formalities relating to the vehicle should be borne and performed by the second party.
14) The monthly hire charges will be inclusive of the all taxes, levies, cess, etc., except specifically provided otherwise.
15) The second party will submit a monthly bill for Rs.________/- being the hire charges for distance of 2300 Kms on or before 15 of the following month and payment will be made by the first party accordingly. However, the total running of vehicle will be reviewed at the end of agreement. Payment for remaining mileage in excess (after the offset mentioned above) will be made at the rate of Rs.________/- per Km.
16) The duty hours for the drivers and vehicle will be from 8.00 AM to 7.00 PM on all days. In case of emergency driver can be retained for 24 hours duty and over time shall be allowed. In case the driver found to be under the influence of liquor or any other intoxication including drugs, penalty of Rs.1500/- shall be deducted.
17) The agreement will be effective for a period of one year w.e.f. date of awarding the contract.
18) In consideration of payment to be made by the first party to the second party as per the rates given the Annexure "B" the second party hereby covenants with the first party to provide the vehicle as mentioned in Annexure "A" on hire basis.
19) The first party hereby covenants to pay the second party the higher charges or such other sum as may become payable under the provision of the contracts with the first party to provide the vehicle as mentioned in Annexure "A" on hire basis.
20) The second party will be required to furnish Bank Guarantee in the name of CBT, EPF for an amount of 10% of the annual amount within 15 days of award of contract, which will be released to the second party on satisfied completion of the contract.
21) All legal disputes are subject to Kadapa Jurisdiction.

The interested Registered Travel Agencies may send their Tenders to the following address:

~~Regional PF Commissioner-I~~, APFC
Employees' Provident Fund Organisation,
(Ministry of Labour, Government of India),
Regional Office, 1/30, Railway Station Road,
Kadapa-516004.

The tenderer should super scribe envelop with "Quotation for hiring of vehicle". The Employees' Provident Fund Organization, Regional Office, Kadapa, reserves the right to reject any tender without assigning any reason.

24/5/18
(ROHIT SREEKUMAR)
REGIONAL PF COMMISSIONER

निविदा का आरूप

FORMAT OF TENDER

संलग्नक "ए"/ANNEXURE "A"

1.	पंजीकरण सं. Registration No.	
2.	वाहन क्लॉस Vehicle Class	**मोटर क्याब/Motor Cab**
3.	विनिर्माण वर्ष Mfg. Year	
4.	उपयोगी ईंधन Fuel Used	
5.	इंजन सं. Engine No.	
6.	चेसिस सं. Chasis No.	
7.	हार्स पावर Horse Power	

रेट चार्ट प्रति वाहन

RATE CHART PER VEHICLE

संलग्नक "बी"/ANNEXURE "B"

अवधि Duration	अतिरिक्त समय Over Time	न्यूनतम घंटे प्रति दिन Min. Hours per day	न्यूनतम कि.मी. प्रति माह Min. Kms. Per month	भाडा प्रभार प्रति माह Hire Charges Per month	एक वर्ष में 2300 कि.मी. से अधिक अतिरिक्त प्रभार Extra Charges beyond 2300 Kms. in one year
संविदा एवार्ड करने की तिथि से एक वर्ष के लिए For the period of one year from the date of awarding the contract	रु.________/- प्रति रात एवं अतिरिक्त समय सं. Rs.______/- per night & no overtime	10 घंटे 10 Hours	एक वर्ष के लिए 2300 कि.मी. समायोज्य 2300 Km. adjustable for one year	रु.________/- प्रति माह Rs.______/- per month	रु.________/- प्रति कि.मी. Rs.______/- per Km.

मैं ने निविदा संबंधी सामान्य निबंधन व शर्तें पढी हैं और समझ ली हैं और उनके अनुपालन के लिए सहमत हूँ।

I have read the General Terms and conditions of this Tender and have understood and agree to abide by the same.

निविदाकार का नाम व हस्ताक्षर

रबड मोहर सहित

Name & Signature of Tenderer

With Rubber Stamp

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन/**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**

क्षेत्रीय कार्यालय, कडपा/ REGIONAL OFFICE, Kadapa.

निविदा सूचना / TENDER NOTICE

यह कार्यालय **किराये के लिए कार** प्रदाय करने हेतु निविदा दर आमंत्रित करता है।
निविदा प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि व समय: 31.05.2018 अपराह्न 3.00 बजे
निविदा खोलने की तिथि व समयः 31.05.2018 अपराहन 4.30 बजे
उपरोक्त पते पर क्षे.भ.नि.आ. के कक्ष में खोले जाएँगे।
विस्तृत जानकारी के लिए हमारा वेबसाइट www.epfindia.gov.in/tender.html. का वीक्षण करें।

This office invites tender quotations for supply of **Car on hire basis.**
Last date & Time of submission of tender: 31.05.2018 at 3.00p.m.
Date and Time of opening of tender: 31.05.2018 at 4.30 p.m.
in the chamber of RPFC on the above address.
For further details please visit our website www.epfindia.gov.in/tender.html.

सहायक भविष्यनिधि आयुक्त/ASSISTANT P.F.COMMISSIONER